

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ./तक./उवसं/2021-22/5830

दिनांक :- 30/09/2022

मित,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय:- Diversion of 3.468 Ha. Forest Land in Pwd Pratapgarh For Widening & stentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour road 58/0 K.M. or 59/0 K.M. & 76/0 K.M. (SH-81) के संबंध में। (Praposal no. FP/RJ/Road/143853/2021)

प्रसंग- आपका पत्रांक 5868 दिनांक 27.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपो की बिन्दुवार सूचना बनाकर निम्नानुसार प्रेषित है-

क.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	पार्ट-I में Additional information Detail के क्रम संख्या -20 पर अपलोड जमाबन्दी के पृष्ठ 9 ,13, व 15 अपठनीय है स्पष्ट प्रति अपलोड करे।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा स्पष्ट प्रति अपलोड कर दी गई है।
2	पार्ट-I के क्रम संख्या -24 पर Marked Revenue Map पर यूजर एजेन्सी के प्रति हस्ताक्षर नहीं है।	यूजर एजेन्सी के प्रति हस्ताक्षर दिये गये है
3	पार्ट-I के क्रम संख्या -33 पर अपलोड जमाबन्दी एवं रेवेन्यू Map of NFL Land की PDF खुल नहीं रही है। पुनः अपलोड करावे।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा अपलोड कर दी गई है।
4	पार्ट-I के क्रम संख्या -36 पर अपलोड EDS Dated 27.1.22 की PDF में यूजर एजेन्सी के पत्रांक 167 दिनांक 7.7.22 संलग्न नहीं है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा अपलोड कर दी गई है।
5	पार्ट-II में NFL की सीए स्कीम अपलोड की गई है। इसके बिन्दू 2(iii) में NFL की Forest Land से दूरी पूछी गई है। उत्तर में yes लिखा गया है। दूरी लिखे।	पार्ट-II में दूरी का उल्लेख कर दिया गया है।
6	पार्ट-II में बिन्दू 13(ii) पर अपलोड MAP पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं है।	पार्ट-II में बिन्दू 13(ii) पर अपलोड MAP पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पार्ट-1 से ऑटोमैटिक लिंक द्वारा पार्ट-II में बिन्दू 13(ii) में आ जाता है। परन्तु अतिरिक्त दस्तावेजों में प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	पार्ट-II में बिन्दू 13(iii) पर अपलोड Topo sheet उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं है।	पार्ट-II में बिन्दू 13(ii) पर अपलोड Topo sheet पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पार्ट-1 से ऑटोमैटिक लिंक द्वारा पार्ट-II में बिन्दू 13(ii) में आ जाता है। परन्तु अतिरिक्त दस्तावेजों में प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव के साथ DFL की KML संलग्न नहीं है।	DFL की KML सीडी में संलग्न कर प्रेषित है।
9	प्रस्ताव में NFL & DFL की CA scheme 13 वर्ष की तक ली जानी है, जबकि आप द्वारा 12 वर्ष की ही CA स्कीम ली गई है।	NFL & DFL की CA scheme संशोधित कर संलग्न प्रेषित है।
10	NFL वन भूमि से 1 कि.मी. से भी अधिक दूर है NFL का	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि

<p>क्षेत्रफल मात्र 3.468 हेक्टेयर है, ऐसे में 3.468 हेक्टेयर की NFL का वन प्रबन्ध कैसे संभव हो पाएगा ? स्पष्ट करें।</p>	<p>के पास पूर्व में भी 17.67 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित किया गया है। उक्त 17.67 हे० के समीप एक अन्य प्रकरण में 16 हे० गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार इस क्षेत्र में कुल 37.138 हे० गैर वन भूमि स्थित है। उक्त क्षेत्र में वनस्पति/पेड-पौधों का घनत्व अधिक है। उक्त क्षेत्र में 200 पौधों का रोपण ही किया जाएगा। वन प्रबन्ध हेतु युजर ऐजेन्सी से 13 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त की जावेगी।</p>
---	---

(सुनील कुमार)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़